

में यह पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर
के यहाँ स्थानान्तरित की जाती है। पत्रावली न्यायालय
के नम्बर से कम हो। परकारान आगे सुनवाई के सम्बन्धित
न्यायालय में दिनांक 21-4-21 को पेश हो।

8/4 आज यह पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर
से स्थानान्तरित होकर पेश हुई। वकूलाय फरीकेन उपस्थित।
श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अलवर के आदेश
क्रमांक/कोर्ट/2021/5544 दिनांक 6/12/21 को
पालना में आज यह पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
बानसूर से स्थानान्तरित होकर पेश हुई। पत्रावली दर्ज
पंजीका की जन्मे एवं वास्ते सुनवाई दिनांक
29/6/21 को पेश हो।

21/6
22

आज यह पत्रावली पेश हुई। वाडी
व वकील वाडी को बार-बार आवज
लगाने जाते पर श्री उमरी ओर से
कोई उत्तर नहीं आया। अतः वाडी
का वाक्य अटक टाजरी व अफम पैदा
में खारिज किया जाता है। पत्रावली
वाक्ये केसल शुमार होकर नम्बर से
रक हो व वाक्यल दफ्त हो।
सहायक कलक्टर
बानसूर (बचक)